(2)

न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राज0)

प्रकरण सं0 48/2021 तारीख दायर :–18.08.2021 दिनांक निर्णय :–27.10.2021

निर्णय

पटवारी हल्का पलवा तहसील राजगढ़ जिला अलवर

बनाम

फज्जर पुत्र छीतर जाति मेव सा0 डाबला मेव तहसील राजगढ़ जिला अलवर

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का सक्षिप्त में विवरण निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का पलवा द्वारा राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि गैरसायल फज्जर पुत्र छीतर जाति मेव निवासी डाबाला मेव तहसील राजगढ़ जिला अलवर के आ0ख0न0 346 रकबा 0.32 हे0 व 357 रकबा 0.10 हे0 किस्म चारागाह बारानी–2 भूमि पर सम्वत् 2078 के फसल खरीफ में जोत लगाकर अतिक्रमण कर लिया है।

प्रकरण राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जर्ये समन/नोटिस तलब किया गयौ। गैरसायल की ओर से सुरसैद उपस्थित आया जिसने जवाब हेतु समय चाहा गया को जवाब हेतु समय दिया गया। इसके बावजूद भी कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किये गये। अतिक्रमी द्वारा राजकीय चारागाह भूमि पर अतिक्रमण के सम्बंध में पटवारी हल्का पलवा के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान में बतया गया है कि उक्त अतिक्रमी द्वारा पूर्व में भी सम्वत् 2077 में अतिक्रमण किया है। जिसको दिनांक 09.06.2021 को बेदखल कर दिया गया था। इस प्रकार अतिक्रमी पश्चातवृति अतिक्रमण की श्रेणी में आता है।

गैरसायल के विरूद्ध राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने पर उक्त अतिचारी को एक माह की सिविल कारावास की सजा से दण्ड़ित किया जाता है। साथ ही सरह लगान 2 रूपये 52 पैसे का 50 गुणा राशि 126 रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। तहसील राजस्व लेखाकार को राजस्व लेखों में मांग कायमी एवं पटवारी हल्का पलवा वसुली एव बेदखली हेतु लिखा जावे। एस.एच.ओ. राजगढ़ को गिरफ्तारी आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को मेंरें द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनवाया गया।

(बाबूलाल मीना)
तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22
के पृष्ठ संख्या 12 पर रा.पं. 126/-
राशि कायम किये गये।
त. रा. लेखाकार